बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 30.12.16

संख्या—18 / लो॰से॰अ॰—12—01 / 2016(खण्ड) 17 4 0 8 / बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा—3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—19431 दिनांक—23.12.2013 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखत संशोधन करती है:—

1. उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट-1 का कमांक--7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-"परिशिष्ट--।

क0 सं0	विभाग का नाम/सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8
	खाद्य एवं उपभोक्ता	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य	जिला	21 कार्य	प्रमण्डलीय	15 कार्य
	संरक्षण विभाग।		दिवस	पदाधिकारी	दिवस	। आयुक्त	दिवस
	/(i) नये राशन					_	
	कार्ड का निर्गमन						
	खाद्य एवं उपभोक्ता	2		जिला			
	1	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य		21 कार्य	प्रमण्डलीय	15 कार्य
	संरक्षण विभाग।		दिवस	पदाधिकारी	दिवस	आयुक्त	दिवस
	ं /(ii) राशन कार्ड						! !
	में संशोधन (नाम में						
7	संशोधन / नाम						
	जोड़ना / नाम						
	हटाना)					4	
	खाद्य एवं उपभोक्ता	अनुमंडल पदाधिकारी	30 कार्य	जिला	21 कार्य	प्रमण्डलीय	15 कार्य
	संरक्षण विभाग।		दिवस	पदाधिकारी	दिवस	आयुक्त	दिवस
	/ (iii)राशन कार्ड					Ĭ	
	का						
	प्रत्यर्पन / रद्दीकरण						
	ī						

2. उपर्युक्त अधिसूचना के परिशिष्ट—। के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट—॥ जोड़ा जाएगाः--

"परिशिष्ट—॥

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक <u>कागजात</u> (चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'क' में ।
	2. आधार कार्ड का छायाप्रति ।
	3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति, जिसपर खाताधारी
	का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code
	रहता है ।
	4. आवासीय प्रमाण-पत्र
	5. विभागीय आवेदन पत्र प्रपत्र 'क' के क्रमांक 10 अथवा 11
	जो लागू हो, के संबंध में शपथ–पत्र।
	 सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ ।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में ।
संशोधन, नाम जोड़ना, नाम हटना)	2. व्यक्ति, जिसका नाम जोड़ा जाना है, के आधार कार्ड की
	छाया प्रति।
,	3. विभागीय आवेदन प्रपत्र 'ख' के क्रमांक 8 एवं 9 के संबंध
	में लागू कारण के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, यथा :-
	i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र
	ii. जन्म / मृत्यु का प्रमाण पत्र
	iii. राशन कार्ड में वर्णित अशुद्धियाँ जिनको शुद्ध किया जाना
	है, के लिए सरकारी प्रमाण-पत्र (सरकारी विद्यालय का
	प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई०कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस,
	पैन कार्ड आदि)।
3. राशन कार्ड का प्रत्यर्पण	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र 'ख' में ।
(Surrender) / रददीकरण	2. विद्यमान राशन कार्ड का प्रत्यंपण / रदद करने के लिए
()	आवेदन पत्र के क्रमांक 10 के संबंध में लागू कारण की
	छायाप्रति ।
	<u> </u>

सामान्य निर्देश

1. आवेदन-पत्र केवल एक ही प्रति आवेदक द्वारा भरी जायेगी ।

2. किसी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक पार्टी द्वारा तादाद में प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किये जाएँगे ।

अपूर्ण आवेदन पत्र को रदद कर दिया जायेगा ।

अहस्ताक्षरित या बिना अंगुठे के निशान के आवेदन-पत्र को रदद कर दिया जायेगा ।

5. हस्तलिखित, टाईप किये गये, फोटो कॉपी किये गये या एन.आई.सी. की बेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपन्न भी स्वीकार किये जायेंगे, बशर्ते कि इस प्रकार के प्रपन्न निर्धारित प्रपन्न के समरूप होने चाहिए ।

6. सभी आवेदन पत्र RTPS के माध्यम से लिये जायेगें ।

- सरकारी सेवा से तात्पर्य है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं स्वशासी में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ।
- 8. RTPS के तहत पात्र गृहस्थी द्वारा राशन कार्ड का आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा ।
- 9. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा RTPS के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन—पत्र को एक सप्ताह के अन्दर संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जायेगा । प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को जांच कराकर 15 दिनों के अन्दर अनुमंडल पदाधिकारी को वापस किया जायेगा ।

10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र को स्वीकृत किया जाता है तो राशन कार्ड निर्गत किया जायेगा ।

प्रपत्र 'क'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा–9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9 द्रष्टव्य)

- 1. आवेदक का नाम
- 2. आधार / EID no
- 3. मोबाईल नं0-
- 4. आवेदक के पति / पिता का नाम
- 5. पूर्ण आवासीय पता
- 6. बैंक का IFSC Code
- 7. बैंक खाता नं0
- 8. बैंक तथा शाखा का नाम
- 9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र0	नाम	पति / पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7
						- ''
			_			

पारिवारिक फोटो

	आधार / EID no	माबाइल न0	व्यवसाय/सवा	आमदना का । स्रोत	माासक आय	
	8	9	10	11	12	
-						
•					-	
	•					
	10. ग्रामीण क्षेत्र के आवेर	± क निम्नलिखित पर हॉं ,				
	(i) मोटर चालित तिपाहि (ii) मशीन चालित तीन / (iii) सरकार में पंजीकृत वे (iv) परिवार के किसी सव (v) आयकर देते है, हॉ [(vi) व्यावसायिक कर का (vii) जिस मकान में रहते कमरा है, हॉ न (viii) परिवार में कम से क नहीं [] [(ix) दो अथवा उससे अधि हॉ नहीं [] (x) कम से कम एक सिं है, हॉ नहीं [] (xi) आवेदक अथवा आवेद अगर है तो उसका वि (क) किस सेवा में है (ख) कहाँ पदस्थापित (ग) कितना मासिक वि 11. शहरी क्षेत्र के आवेदक	या / चार पहिया वाहन है चार पहियों वाले कृषि उ रैर-कृषि उद्योग वाले पि रूय की मासिक आय 10 नहीं भुगतान करते है, हॉ है, उस मकान में सभी कम एक सिंचाई उपकरण वाई उपकरण के साथ व वाई उपकरण के साथ व वाई उपकरण का कोई वेवरण — है — आमदनी है — आमदनी है —	हें, हॉ	नहीं हॉं हॉं नहीं के हैं, हॉं अथवा इससे 3 ससे अधिक सिं अथवा इससे :	नहीं साथ तीन अथवा मधिक सिचित भूमि चेत भूमि वाली गृह अधिक भूमि वाली नहीं	ने हैं, हॉ इस्थी है,
	(ii) आवेदक अथवा आवेव सेवा (अनु0जाति ∕ अन् अगर ंोो उसका वि (क) किस सेवा में है (ख) कहाँ पदस्थापित	_ है			वर्गघ श्रेणी के वि नहीं [सरकारी
((ग) कितना मासिक ३ (iii) व्यवसायिक कर अदा	आमदनी है — करते है, हॉ नहीं [

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छ नहीं 🗀 🗀	न्तयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ
(v) (vi	परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,0	00 / – रू0 से अधिक है, हॉ 🔲 नहीं 🗀 न तीनों उपकरण है, हॉ 🔲 नहीं 🗀
(v) (v) (v)	i) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ 🔲 नहीं	
	गंक	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थ	ान	नाम
	· .	a) Samu
	_	<u> योषणा</u>
	ोदया / महोदय मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि अ	विदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। मैंने इसके
पूर स्व	राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिय ता है, तो मैं दंडात्मक / कानूनी कार्रवाई का भागी है	॥ है। अगर आवदन-पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया
জ	ता ह, ता न पंजारनवर्ग वर्गामा वर्गरनाय कर गरा ए	
	नांक	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम
44	गन	गान
3	र्वेकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :- विदन पत्र - स्वीकृत अस्वीकृत	
34	स्वीकृत का कारण —	

प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कॅडिका 3 का

उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

- 1. आवेदक का नाम
- 2. आधार / EID no
- 3. मोबाईल नं0-
- 4. आवेदक के पति / पिता का नाम
- पूर्ण आवासीय पता
- 6. विद्यमान राशन कार्ड की सं0-
- 7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0-
- विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण—
 - (क) निवास में परिवर्तन -
 - (ख) जन्म या मृत्यु --
 - (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ -
 - (घ) अन्य कारण -
- 9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी -

क्र0	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7
	-					

पारिवारिक फोटो

आधार / EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12
				:

10. वि	द्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण / रद्द करने का कारण -
(ক)	ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवदक
निम्नि	ाखित पर हॉं ∕ नहीं, पर टिक लगावे :-
(i)	मोटर चालित तिपाहिया / चार पहिया वाहन है, हॉ 🔲 नहीं 🔲
(ii)	मशीन चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉं 🔲 नहीं 🔲
(iii)	सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं
(iv)	परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 / - रू० से अधिक है, ही 🗀 नहा 🗀
(v)	आयकर देते है, हॉ 🗀 नहीं 🗀
	व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हॉ 🗀 नहीं 🗀
(vii)	जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक
• •	
(viii)	परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ
` ,	
(ix)	दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है,
. ,	हाँ नहीं 🔲 🔲
(x)	कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी
, ,	है, हॉ नहीं 🔲 🔲
(xi)	आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ 🔲 नहीं 🔲
, ,	अगर है तो उसका विवरण –
	(क) किस सेवा में है –
	(ख) कहाँ पदस्थापित है –
	(ग) कितना मासिक आमदनी है —
(ख)	शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक
निर्म्ना	लेखित पर हाँ / नहीं, पर टिक लगावे :
(i)	भागका अस्य करते है हाँ 🔲 नहीं 🗍
(ii)	्यातेत्क अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रणा के सरकारी
()	सेवा (अनुoजाति / अनुo जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं
	अगर 🗀 उसका विवरण —
	(क) किस सेवा में है —
	(ख) कहाँ पदस्थापित है –

(iii) (iv) (v) (vi) (vii)	(ग) कितनी मासिक आमदनी है — व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ नहीं तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं पिरवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/— रू० से अधिक है, हॉ नहीं दो पहिया वाहन, रेफीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ नहीं गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ नहीं
किया	गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ नहीं उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने रण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)
दिनांक स्थान	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम
	घोषणा /महोदय मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूं की आवेदन—पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है । अगर पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।
दिनांक स्थान	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम
3	अधिसूचना संख्या—19431 दिनांक—23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी। समय—समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित

4 समय—समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

>०\~

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

अधिसूचना

संख्या—18/लो०से०अ०—12—01/2016(खण्ड)सा०प्र० िन् ०० / अधिसूचना संख्या—ेनि०८/दिनांक— िक्र किया जाता है, जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Government of Bihar General Administration Department

(Notification)

1. Serial No-7 of Appendix -1 of the above notification would be substituted as follows :-

"Appendix-1

S. No.	Name of the Department/Service	Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2	3	4	5	6	7	8
	Food and Consumer Department. (i) Issuance of New Ration Card	Sub- Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
7	Food and Consumer Department. (ii) Rectification of Ration Card (Rectification in name /addition or deletion of name)	Sub- Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
	Food and Consumer Department. (iii) Surrender/ Cancelation of Ration Card	Sub- Divisional Officer	30 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days

2. Appendix –II will be added after Appendix-I of the concerned notification:-

"Appendix-II

Documents to be submitted for the specified Service (Check List)

Name of Service	Check List
1. Issuance of New Ration Card	1. Application in Department's Pro-forma 'k' 2. Photo Copy of Adhar Card 3. Photo Copy of the First Page of Bank Account which reflects Name, Account Number, Name of Account Holder, IFSC Code of Bank 4. Residential Certificate 5. Affidavit regarding Serial No. 10 or 11 (whichever is applicable) of Department's Pro-forma 'K' 6. Three Group Photographs of the whole family
2. Rectification in Ration Card (Rectification in Name, Addition / deletion of Name)	1. Application in Department's Pro-forma 'kh' 2. Photo Copy of Adhar Card of Person whose Name is applied for addition 3. Photo Copies of Certificates of valid ground regarding Serial No. 8 & 9 of Department's Pro-forma 'kh' e.g. i. Certificate required for residential change ii. Birth or death Certificate iii. Government Certificate —Certificate given by Government School, Adhar Card, Voter ID, Driving License, PAN Card etc. in respect of the errors required to be corrected
3. Surrender/Cancelation of Ration Card	Application in Department's Pro-forma 'kh' Photo copy of valid reason for Surrender /Cancelation of Ration Card required in respect of the Serial No. 10 of Application Form

General Instructions

- 1. Only one copy of duly filled application should be submitted.
- 2. Numerous applications submitted by any Person, Organisation or Political Party will not be accepted.
- 3. Incomplete application will be rejected.
- 4. Unsigned or application without thumb impression will be rejected.
- 5. Hand written, typed copy, photo copy or pro-forma downloaded from NIC website will also be accepted, subject to its uniformity with the prescribed pro-forma.
- 6. All applications will be accepted through RTPS.
- 7. Government Service means service of personnel serving under Central / State Government in regular pay scale or in Public Enterprises, Local Bodies and Autonomous Organisations / Bodies.
- 8. Application of Ration Card under RTPS of eligible house-hold will be submitted at the Sub-divisional office of the concerned region.
- 9. Received applications will be forwarded by the Sub-Divisional Officer to the concerned Block Development Officer through RTPS within one week. After making essential verification Block Development Officer will revert applications to the concerned Sub-divisional Officer within 15 days.
- 10. Ration Card will be issued after approval of the concerned Sub-Divisional Officer.

Application Pro-forma- 'k'

(Pro-forma for new Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}

Family Photo

- 1. Name of Applicant
- 2. Adhar/EID Number
- 3. Mobile Number
- 4. Father's/Husband's Name of Applicant
- 5. Full Residential Address
- 6. IFSC Code of Bank
- 7. Bank's Account Number
- 8. Name of Bank & Branch
- 9. List of other family members for Ration Card

SI. No.	Name	Father's /Husband's Name	Gender	Age	Marital Status	Relation
1	2	3	4	5	6	7
			ļ <u>.</u>	_		
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	ļ. -	· .•		
	<u></u>	<u> </u>	 			
			 			
 		-				

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12
				
<u>-</u>				
				·

	1	
<u> </u>	ŀ	
10.	Appli	cant of Rural Area will tick either Yes /No of the followings:-
	(i) W	hether owns motor driven tricycle / four wheeler
		hether owns machine driven three/four wheeled griculture equipments Yes No
		Whether holds non-agriculture professional family house-hold egistered under the government Yes No
	tl	/hether monthly income of any member of family is more han Rs. 10,000/- Yes No
		hether pays Income Tax Yes No
		Whether all rooms (either three or more) of house in which he/she lives is made up of cemented walls and roof Yes \tag{ \tag{ No }
		Whether family holds at least one agriculture equipment with 2.5 or
		nore acres of irrigated land Yes No No No Irrigated land for
		vo or more crop seasons Yes No
		Whether holds house-hold having one agriculture equipment at least with 7.5 or more acres of land Yes No
		Vhether applicant or any member of family is in service Yes
		(a) Name of Service-
		(b) Place of posting – (c) Monthly income-
11.	Appli	cant of Urban Area will tick either Yes /No of the followings:-
	(i)	Whether pays Income Tax Yes No
	(ii)	Whether applicant of any member of his/her family is in Group A, Group B, Group C and
		Group D (excluding group D member of Schedule Caste /Schedule Tribes) service- Yes
		If Yes, give following description:-
		(a) Name of Service-
		(b) Place of posting – (c) Monthly income-
	(iii) W	Vhether pays professional tax Yes No No
		Whether holds self owned house-hold having a building of three or more cemented rooms with concrete roof Yes No

(v) Whether monthly Income of any member of family is more than Rs. 20,000/- Yes No
(v) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes No No No No Whether house-hold has Four Wheeler Yes No
(vii) Whether house-hold has Washing Machine Yes No
Signature /Thumb Impression of Applicant Date Name- Place
<u>Declaration</u>
Madam / Sir
I along with my family declare that entries of application are true. I have not submitted application for Ration Card earlier. If any fact mentioned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.
Date Name- Place
Under Priority House Hold (PHH):- Application form – Accepted Rejected
Reason of rejection -

Application Pro-forma- 'kh'

(Pro-forma for rectification in Ration Card or for surrendering/ cancelation of Ration Card under Bihar Right to Public Services Act)

{See Section 9 of National Food Security Act, 2013 and Sub Para -13, 14 of Para-3 and Sub Para-7, 8, 9 of Para-4 of Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2015}

Family Photo

- 1. Name of Applicant
- 2. Adhar/EID Number
- 3. Mobile Number
- 4. Father's/Husband's Name of Applicant
- 5. Full Residential Address
- 6. Ration Card No.
- 7. Name of concerned dealer and license No.
- 8. Reason of rectification in Ration Card-
 - (a) Change of residence
 - (b) Birth / Death
 - (c) Factual errors of Ration Card
 - (d) Other reason

9. Description for rectification

SI.	Name	Father's /Husband's	Gender	Age	Marital	Relation
No.		Name			Status	
1	2	3	4	5	6	7
-		-	<u> </u>			
			1			
			1		ļ	
		- ··	 	<u> </u>		
1					<u> </u>	1

Adhar/EID No.	Mobile No.	Occupation / Service	Source of Income	Monthly Income
8	9	10	11	12
				<u>,</u>

`			
(A) Tick	unds for surrender / Cancelation () either Yes or No, in case of chan	ge in Residential, Birth, M	larital, Social and
(i) W	Economical change of rural area- Whether owns motor driven tricycle / fo	ur wheeler Yes!	No
(ii) V	Vhether owns machine driven three/fou	r wheeled agriculture equip	ments Yes No
(iii)	Whether holds non-agriculture profession registered under the government	onal family house-hold Yes	No No
	Whether monthly income of any me than Rs. 10,000/-	mber of family is more Yes	No No
(v) \	Whether pays Income Tax Yes		
	Whether pays professional tax Yes	No	
(viii	Whether all rooms (either three or of cemented walls and roof Yes [i) Whether family holds at least one a more acres of irrigated land Yes [Whether holds house-hold with five two or more crop seasons Yes	No [agriculture equipment wi No	th 2.5 or
(x)	Whether holds house-hold having of with 7.5 or more acres of land Y	one agriculture equipmer es No	t at least
(xi)) Whether applicant or any member If Yes, give following details:-	of family is in service Yes	No
	(d) Name of Service-		
	(e) Place of posting –		
	(f) Monthly income-		
(B) Tid Ec	ck () either Yes or No, in case of cha onomical change of urban area-	inge in Residential, Birth,	Marital, Social and
	 (i) Whether pays Income Tage (ii) Whether applicant of an and Group D (excluding service- Yes No If Yes, give following description) (a) Name of Service- 	y member of his/her for group D member of	amily is in Group A, Group B, Group C Schedule Caste /Schedule Tribes)
	(b) Place of posting —		
	(c) Monthly income-		
	(iii) Whether pays professiona	1 tax 100	lo
	(iv) Whether holds self owne rooms with concrete roo	d house-hold having a bu f Yes No	ilding of three or more cemented

	(v) Whether monthly Income of any member of family is more
	than Rs. 20,000/- Yes No Deficiency and Machine
	(vi) Whether all the three equipments- Two Wheeler, Refrigerator and Washing Machine are available Yes No
	Machine are available Yes No No (vii) Whether house-hold has Four Wheeler Yes No
	(viii) Whether house-hold has Washing Machine Yes No
	Kindly rectify the Ration Card according to Para above / cancel the Ration Card
	according to Para above.
	Signature /Thumb Impression of Applicant
Date	Name-
Place	
	<u>Declaration</u>
	Madam / Sir
	I along with my family declare that entries of application are true. If any fact
mentic	oned in application is found untrue, I will be responsible to face penal/legal action.
	Signature /Thumb Impression of Applicant "
	Name-
Date	Name-
Place	
3 Oth	er entries of Department's notification No. 19431 dated 23-12-2013 will remain as earlier.
4. Dei	partment of Food and Consumer Protection, Bihar, Patna will issue other required formats, time
to time	e, after consulatation with the Law Department.
	By the order of Governor of Bihar,
	₹0 / −
	(Dayanidhan Pandey)
	Additional to Government.
संख्या	—18 / लो0से0अ0—12—01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0िटि १ पटना 15 दिनांक—30-12-16
(10-11	प्रतिलिपि—प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी.
بم) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
	·
अनु0-	-(11.91.]
	ह0 ∕ −
	(दयानिधान पाण्डेय)
	सरकार के अपर सचिव।
711-111	ı—18 / लो0से0अ0—12—01 / 2016(खण्ड)सा0प्र01्रि (अप्टना 15 दिनांक—30√12—16
सख्या	= 18/ लाग्याजा / २०१७ वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष
	प्रतिलिपि-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी
प्रमंडर	त्रीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैजेजर को विभागीय वेबसाईट पर
	ोड करने हेतु प्रेषित।
	3•1~ 3•1~
	सरकार के अपर सचिव।